

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क- 24/2014

संस्थित दिनांक- 08.01.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. मुन्नु यादव पुत्र त्रिलोक यादव उम्र 33 साल,
 2. रविन्द्र सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह यादव उम्र 23 साल,
 3. सोनू पुत्र त्रिलोक सिंह यादव उम्र 25 साल,
 4. राहुल पुत्र शिशुपाल सिंह यादव उम्र 21 साल,
- निवासी ग्राम बडेरा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 08.09.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324/34, 323, 506 भाग-दो के आरोप है उन्होंने दिनांक-09.02.2013 को शाम-16:45 बजे ग्राम बडेरा मंदिर के आगे राजघाट रोड थाना चंदेरी में फरियादी अंसार खां की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी मुन्नु ने फरियादी अंसार की काटने के हथियार हसिया से एवं आरोपी रविन्द्र व राहुल ने फरियादी अंसार को जमीन पर पटक कर तथा आरोपी सोनू ने फरियादी की चांटा मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-09.02.2017 को करीब 16:45 बजे की बात है कि फरियादी बस नंबर M.P. 20 F. 6339 को लेकर ललितपुर से चंदेरी के लिये जा रहा था, कि जैसे ही ग्राम बडेरा मंदिर के पास आया, तो अंसार खां की गाडी के सामने मुन्नु यादव ने मोटर साइकिल खडी करके गाडी रुकवा ली और अंसार गेट के नीचे उतरा ओर कहा कि बस क्यों रुकवाई तो मुन्नु यादव बोला कि भतीजे को बस से क्यों उतरा। अंसार ने कहा पैसों नही दिये इसलिए उतार दिया, तो रविन्द्र और रविन्द्र का छोटा भाई मुन्नु यादव आ गये और मुन्नु ने अंसार के सिर में चारा काटने वाला हसिया मार दिया सिर में चोट लगकर खून निकल आया, और उक्त चारों लोग कह रहे थे कि अगर पैसों लगे तो मोटर नही चला पाओगे, तो गाडी भी नही चलेगी, और

कह रहे थे कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। घटना के समय मौके पर मोहर सिंह डायवर, माखन सिंह क्लीनर, समीम खां, शानू शर्मा तथा बस में बैठी सवारियों ने घटना देखी थी। उसने घटना दिनांक 09.02.2013 फरियादी अंसार द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-46/2013 अंतर्गत धारा- 294, 323, 324, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 09.02.2013 को शाम 16:45 बजे ग्राम बडेरा मंदिर के आगे राजघाट रोड थाना चंदेरी में फरियादी अंसार खां की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी मुन्नू ने फरियादी अंसार की काटने के हथियार हसिया से स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी रविन्द्र व राहुल ने फरियादी अंसार को जमीन पर पटक कर तथा आरोपी सोनू ने फरियादी की चांटा मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण आई साक्ष्य की पुनर्वृत्ति को रोकने के उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में फरियादी अंसार खां (अ0सा0-1) के सहित घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में शमीम खां (अ0सा0-2), मोहर सिंह (अ0सा0-3), रानू शर्मा (अ0सा0-4) व मलखान (अ0सा0-6) के कथन न्यायालय में कराये गये, वहीं चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-5) व अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक बलराम मांझी (अ0सा0-7) के कथन भी अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कराये गये।
- 06— प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी समीम खां (अ0सा0-2) मोहर सिंह (अ0सा0-3), रानू शर्मा (अ0सा0-4), मलखान (अ0सा0-6) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा इन सभी साक्षियों ने अपने कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है। अभियोजन के द्वारा इन साक्षियों को पक्षविरोधी कर इनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु किये गये प्रतिपरीक्षण में इन साक्षियों ने अभियोजन घटना के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये। अतः अभिलेख पर घटना की प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में फरियादी अंसार खां (अ0सा0-1) के साक्ष्य शेष बचती हैं।
- 07— अंसार खां (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में पूरी तरह से अभियोजन घटना के समर्थन में कथन देते हुये व्यक्त किया है कि वह बस क्रमांक—M.P. 20 F. 6339 में कंडेक्टरी करता है तथा दिनांक 09.02.2012 को वह शाम करीबन 04:00 से 05:00 बजे वह उस बस को लेकर ललितपुर से चंदेरी आ रहा था, तो ग्राम बडेरा के पास जैसे ही बस पहुचीं, तो अभियुक्त मन्नू ने बस के आगे अपनी मोटरसाईकिल खड़ी करके बस को रोक लिया क्योंकि उसने बस में सवार अभियुक्त रविन्द्र को चंदेरी थाने के पास उतार दिया था। फरियादी के अनुसार अभियुक्त मन्नू के साथ रविन्द्र का छोटा भाई एवं एक अन्य व्यक्ति के सामने आने पर पहचान सकता है, कुल चार लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। जिसमें अभियुक्त मन्नू ने चारा काटने वाले हसिये से उसके सिर में मारा था जिससे उसके सिर में चोट आई थी तथा आरोपीगण ने उसे नीचे पटक कर लातघूसों से मारपीट की थी।

- 08— फरियादी अंसार खां (अ0सा0—1) घटना के समय बस क्रमांक M.P. 20 F. 6339 जो ललितपुर से चंदेरी चलती थी, का कंडेक्टर था इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के कथनों को कोई चुनौती नहीं दी गई तथा फरियादी के उपरोक्त कथनों की पुष्टि स्वयं उस बस के डायवर मोहर सिंह (अ0सा0—4) ने एवं उसी बस पर चलने वाले हैल्पर माखन (अ0सा0—7) ने अपने न्यायालीन कथनों में की अतः इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नहीं है कि फरियादी घटना के समय हाजी टैवल्स की बस M.P. 20 F. 6339 पर कंडेक्टरी करता था तथा उक्त बस ललितपुर से चंदेरी के बीच चलती थी।
- 09— फरियादी अंसार खां (अ0सा0—1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों में पूरी तरह से अभियोजन घटना का समर्थन करते हुये व्यक्त किया है कि ललितपुर से चंदेरी आते समय ग्राम बडेरा के पास अभियुक्तगण ने बस को रोककर उसके साथ मारपीट की थी तथा मारपीट करने का कारण उसके द्वारा अभियुक्त रविन्द्र को बस से थाना चंदेरी के सामने उतार देने का था। फरियादी अंसार खां (अ0सा0—1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित है, अंसार खां (अ0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—3 में स्पष्ट किया है कि वह घटना के समय हाजी बस पर कंडेक्टरी करता था। अभियुक्त रविन्द्र चंदेरी से बडेरा जाने के लिये बस पर चढ़ा था और क्योंकि वह टिकिट के पैसे नहीं दे रहा था इसलिए उसने अभियुक्त रविन्द्र को बस से उतार दिया था।
- 10— फरियादी अंसार खां (अ0सा0—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में यह स्पष्ट किया है कि वह अभियुक्त रविन्द्र को बस से उतारने के बाद बस को ललितपुर ले गया था और जब ललितपुर से बस लेकर वापस आ रहा था, तो अभियुक्तगण ने ग्राम बडेरा पर उसकी बस रोक ली थी तथा उसके साथ इस कारण से मारपीट की, क्योंकि उसने रविन्द्र को बस से उतार दिया था, क्योंकि रविन्द्र टिकिट के पैसे नहीं दे रहा था। घटना दिनांक को अभियुक्त रविन्द्र स्वयं फरियादी की बस से बडेरा जा रहा था, इस बात की पुष्टि बचाव पक्ष की ओर से फरियादी के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में दिये गये इस सुझाव से होती है कि घटना वाले दिन फरियादी ने रविन्द्र को पैसे देने पर टिकिट नहीं दिया था। जिसका खण्डन फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में किया है।
- 11— बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा स्वरूप दिये गये उपरोक्त सुझाव से ही यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त रविन्द्र फरियादी की बस से

चंदेरी से बडेरा जाने के लिये चढा था और टिकिट के विवाद को लेकर फरियादी ने उसे बस से उतार दिया था। जहां तक बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा की अभियुक्त रविन्द्र के पैसे देने पर फरियादी उसे टिकिट नहीं दे रहा था, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि ऐसे कोई भी घटना बचाव पक्ष की ओर से अभिलेख पर स्थापित नहीं की गई जो यह दर्शित करती हो कि अभियुक्त और फरियादी के बीच पूर्व से ही मनमुटाव था जिसके कारण वह उसे बस में ले जाना नहीं चाह रहा था। अतः एक व्यक्ति जो बस का किराया दे रहा हो उसे बस का कंडेक्टर बिना बात के बस क्यों उतारेगा, इस पर कोई सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है। बचाव पक्ष के द्वारा ली गई उपरोक्त प्रतिरक्षा विश्वसनीय नहीं है बल्कि इसके विपरीत उक्त प्रतिरक्षा से इस बात की पुष्टि होती है कि अभियुक्त रविन्द्र को टिकिट के पैसे न देने पर बस से उतारने के कारण अभियुक्तगण के पास घटना घटित करने का पर्याप्त कारण था।

- 12— फरियादी अंसार खां (अ0सा0—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह अखण्डित कथन दिये हैं कि दिनांक 09.02.2012 को शाम करीबन 04:00 से 05:00 बजे जब वह ललितपुर से चंदेरी बस क्रमांक M.P. 20 F. 6339 लेकर आ रहा था तो रविन्द्र को बस से उतारने के विवाद को लेकर अभियुक्त मन्नू ने ग्राम बडेरा के पास बस के आगे मोटरसाइकिल खड़ी करके बस को रूकवा लिया था तथा चारा कटाने के हसिये से उसके सिर पर मारा था और उसके साथ लातघूंसों से मारपीट की थी। फरियादी अंसार खां के उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 में उल्लेखित घटना से होती हैं।
- 13— फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में यह स्पष्ट किया है उसका परीक्षण डॉक्टर एस पी सिद्धार्थ (अ0सा0—5) ने किया था जिसमें उसने डॉक्टर एस पी सिद्धार्थ (अ0सा0—5) को सिर में हसिये से चोट आने वाली बात बता दी थीं। घटना के बाद फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण डॉक्टर एस0पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—5) के द्वारा किया गया इस बात पुष्टि स्वयं डॉक्टर एस0पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—5) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—5) ने अपने कथनों में इस बात की भी पुष्टि की है कि चिकित्सीय परीक्षण में उन्होंने ने फरियादी के बाये कोहनी के पीछे एवं दाहिने गाल पर नीलगू निशान के साथ सिर पर एक फटे हुये घाव की चोट पाई थी जिसका उल्लेख उनके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श-पी-6 में

है। जिस पर डॉक्टर एस0पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-5) ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

- 14- अतः डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-5) की चिकित्सीय साक्ष्य से फरियादी के कथनों की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को जब उसका चिकित्सीय परीक्षण घटना के बाद किया गया, अन्य चोटों के अलावा उसके सिर पर फटे हुये घाव की चोट थी। जो फरियादी के द्वारा घटना के संबंध में दी गई अखण्डित साक्ष्य को देखते हुये निश्चित रूप से अभियुक्त मन्नू के द्वारा किये गये हसिये के प्रहार से कारित किया जाना साबित होती है।
- 15- निश्चित रूप से हसिया एक काटने का उपकरण हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं है उसके प्रहार से हर बार कटे हुये घाव की चोट आये। भादवि की धारा 324 के अपराध की परिधि में अपराध आने के लिये चोट की प्रकृति के अपेक्षा उपहति कारित करने के लिये प्रयोग को देखा जाना होता है। फरियादी की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि घटना में अभियुक्त मन्नू ने उसके सिर में हसिये से मारा था तथा शेष अभियुक्तगण ने उसके साथ लातघूंसों से मारपीट की थीं। अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षण बलराम मांझी (अ0सा0-7) ने विवेचना के प्रक्रम पर निश्चित रूप से अभियुक्त के मन्नू के मकान की तलाशी में हसिया न मिलना बताया है। जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जब हथियार के नाम से हथियार के आकार प्रकार अपने आप में स्पष्ट है तो उसकी प्रकरण में जप्ती न होने से प्रकरण में आई अन्य साक्ष्य पर या अभियुक्तगण पर लगे आरोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 16- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से अंसार खां (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में दी गई साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय प्रतीत होती है बचाव पक्ष इस साक्षी के कथनों में ऐसे कोई तात्त्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ जो अभियोजन घटना की सत्यता एवं इस साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता को चुनौती दे सके। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा अवश्य ली गई है कि फरियादी शराब पीये था। जिससे उसे गिरने चोट आई थी तथा डॉक्टर एस0पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-5) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में इस प्रकार की चोट बस से गिरने से आना संभव बताया हैं, परन्तु फरियादी यदि चोट आने के समय शराब के नशे में था, तो डॉक्टर एस0पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-5) के द्वारा किये गये चिकित्सीय परीक्षण के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श-पी-6 में, इस बात का उल्लेख

अवश्य होता।

- 17— बचाव पक्ष के पास अपने प्रतिरक्षा स्थापित करने का ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं किया गया जो यह साबित कर सके कि एक व्यक्ति बस से गिरने के बाद अकारण किसी अज्ञान व्यक्ति के विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट क्यों करेगा, जबकि घटना घटित होने का एवं अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ मारपीट करने का जो कारण अंसार खां (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में बताया है उसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 से तो होती है साथ इस साक्षी की साक्ष्य न्यायालीन कथनों में भी अखण्डित हैं जो कि पूरी तरह से विश्वसनीय हैं जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्तगण ने पूर्व निर्याजित तरीके से फरियादी के द्वारा अभियुक्त रविन्द्र को किराया न देने पर बस उतारने के विवाद को लेकर ग्राम बडेरा के पास बस रोककर तथा उसे बस उतार कर उसके साथ मारपीट की घटना कारित की है जो कि अभियुक्तगण का फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय दर्शित करता है।
- 18— जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रश्न है। तो इस संबंध फरियादी अंसार खां (अ0सा0-1) ने निश्चित रूप से अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन दिये है कि अभियुक्तगण ने उससे कहा था तुम्हें जान से खत्मकर देंगे, परन्तु अभियुक्तगण ने धमकी किस प्रयोजन के लिये दी थी यह कहीं भी फरियादी ने स्पष्ट नहीं किया। भा0द0वि0 धारा 503 में आपराधिक अभित्रास को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार—जो कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए या उससे ऐसे धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।
- 19— फरियादी अंसार खां (अ0सा0-1) को अभियुक्तगण की धमकी से संत्रास कारित हुआ, ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अंसार खां ने घटना के तुरन्त बाद ही थाने पर स्वयं जाकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है, इससे यह स्पष्ट

होता है कि यदि अभियुक्तगण के द्वारा कोई धमकी दी भी गई तो मात्र शाब्दिक धोस रही होगी, जो आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में नहीं आती है। धमकी किस कार्य को करने या न करने के लिये दी गई, यह भी फरियादी अंसार खां (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा दी गई धमकी ऐसी थी जिससे फरियादी को ऐसा कोई कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है। अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

20— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि दिनांक 09.02.2013 को शाम 16:45 बजे ग्राम बडेरा मंदिर के आगे राजघाट रोड थाना चंदेरी में फरियादी अंसार खां की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी मुन्नू ने फरियादी अंसार की काटने के हथियार हसिया से एवं शेष अभियुक्तगण ने लातघूंसां से उसे स्वेच्छया उपहति कारित की, परन्तु अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

21— फलतः अंसार खां (अ0सा0-1) को घटना में कारित हुई उपहति के संबंध में अभियुक्त मन्नू यादव पुत्र त्रिलोक यादव पर भा0द0वि0 की धारा 324, 323 एवं शेष अभियुक्तगण रविन्द्र सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह यादव, सोनू पुत्र त्रिलोक सिंह यादव, राहुल पुत्र शिशुपाल सिंह यादव पर भा0द0वि0 की धारा 324/34 एवं 323 के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्त मन्नू यादव पुत्र त्रिलोक यादव को भा0द0वि0 की धारा 324/34 एवं 323 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

22— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना

न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

23- दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अभियुक्तगण के द्वारा मामूली बात पर बस में यात्रा करने का किराया फरियादी द्वारा मांगने पर बीच रास्ते में बस को रोककर फरियादी के यहां मारपीट कर उसे उपहति कारित की है जिससे निश्चित रूप से बस में चल रही सवारियां एवं बस के स्टाफ को असुविधा के साथ भय का सामना भी करना पडा इस तरह के कृत्य में यदि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया तो अभियुक्तगण के हौसले बुलंद होंगे और वह इस तरह के अपराध पुनः दोहराने का प्रयास करेंगे।

24- अभियुक्तगण पर भादवि की धारा 324 के साथ भादवि की धारा 323 के आरोप भी साबित हुये हैं चूंकि धारा 324 गुरुत्तर दण्ड से दण्डनीय है अतः उन्हें मात्र धारा 324 एवं 324/34 के आरोप में दण्डित किया जाना उचित होगा। अतः अभियुक्त मन्नू यादव पुत्र त्रिलोक यादव को भा0द0वि0 की धारा 324 में दोषी पाते हुये 6 माह (छः माह) के सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारवास भुगताया जावे। अभियुक्त रविन्द्र सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह यादव, सोनू पुत्र त्रिलोक सिंह यादव, राहुल पुत्र शिशुपाल सिंह यादव को भा0द0वि0 की धारा 324/34 में दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह (छः माह) के सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से

दण्डित किया जाता हैं। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारवास भुगताया जावे।

- 25- अभियुक्तगण की न्यायिक निरोधी में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावें। धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। अभियुक्तगण के जमानत संबंधी मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)